

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....~~मा. 11/10/21~~.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम ~~मा. 11/10/21~~ प0ह0... ~~मा. 11/10/21~~ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् ~~2076-79~~ में खाता संख्या ~~106, 107~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<del>मा. 11/10/21</del>	खाता संख्या - 106, 107	भंवरसिंह फलक डुवा दामसिंह	भंवरसिंह फलक धनुमणिसिंह उर्फ दामसिंह  मिस्त्री श्री नारायण का द्वारा आदेश के द्वारा दर्ज कराए

(राजेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
दिनांक:- 07.12.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 698  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर